न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 95/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भागीरथ उर्फ भाकरराम पुत्र स्व0 खेराजराम 2– हरिराम पुत्र स्व0 खेराजराम जातियान विश्नोई निवासीगण गुडा विश्नोईयान तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– चौखाराम पुत्र बलुराम 2– जंवताराम पुत्र बलुराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूनी, जिला जोधपुर 3– भीयाराम पुत्र बलुराम जाति विश्नोई निवासी अरटिया (ढाबर) तहसील रोहट जिला पाली 4– ग्राम पंचायत शिकारपुरा, पंचायत समिति लूनी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–2016 जो उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2013 अनवान भागीरथ बनाम चौखाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जी.आर.गोरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पुखराज विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 850 जो कि बेचान के आधार पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष मे स्वीकृत हुआ, के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि खसरा नंबर 309 की 81 बीघा 19 बिस्वा भूमि खेराजराज पुत्र लाबूराम, हरीराम, भाखरराम पि0 खेराजराम 1/2 हिस्सा, अन्य सहखातेदारो के साथ दर्ज थी । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपीलांट के 1/2 हिस्से की भूमि हडपने की नियत से ग्राम कांकाणी के अन्य खसरा नंबर 301 की 81,14 बीघा बताकर उक्त खसरे के खातेदार अपीलांट एवं उसके पिता को बताकर बिना प्रतिफल दिये तीन बेचाननामे उप पंजीयक जोधपुर के कार्यालय मे दिनांक 28–8–75 को पंजीबद्ध करवा लिये तथा बेचान नामे के खसरा नंबर 301 की जगह खसरा नंबर 309 के राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन संख्या 850 दिनांक 7–5–99 के तब्दिली करवाकर अपीलांट एवं इनके पिता के स्थान पर जमाबंदी मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि खसरा नंबर 301 ग्राम कांकाणी के खातेदार अपीलांट एवं इनके पिता कभी भी नही रहे एवं न ही खसरा नंबर 301 व 309 की भूमि का बेचान किया, तथा यह भी कथन किया कि दोनो खसरा नंबरान का रकबा भी भिन्न है, ऐसी स्थिति मे उक्त नामांतरकरण संख्या 850 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने फर्जी बेचान बताते हुए

तीन रजिस्ट्रियां वर्ष 1975 मे करवा ली थी जिसके आधार पर म्युटेशन 24 वर्ष बाद अपीलांट को बिना सुने पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपीलांट के 1/2 हिस्से की भूमि हडपने की नियत से ग्राम कांकाणी के अन्य खसरा नंबर 301 की 81,14 बीघा बताकर तथा उक्त खसरे के खातेदार अपीलांट एवं उसके पिता को बताकर बिना प्रतिफल दिये तीन बेचाननामे उप पंजीयक जोधपुर के कार्यालय मे दिनांक 28–8–75 को पंजीबद्ध करवा लिये तथा बेचान नामे के खसरा नंबर 301 की जगह खसरा नंबर 309 के राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन संख्या 850 दिनांक 7–5–99 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि खसरा नंबर 301 ग्राम कांकाणी के खातेदार अपीलांट एवं इनके पिता कभी भी नही रहे तथा अपीलांट एवं उनके पिता के खातेदारी के खसरा नंबर 309 की भूमि का बेचान कभी किया ही नही था और न ही किसी प्रकार का प्रतिफल ही प्राप्त किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन पर निरीक्षक भू. अभिलेख ने बिना रेकर्ड की जांच के ही हस्ताक्षर कर दिये, अपीलाधीन म्युटेशन पंचायत की बैठक मे सर्वसम्मति से पारित नही किया गया है तथा प्रस्ताव संख्या आदि का भी अपीलाधीन म्युटेशन पर उल्लेख नही है । इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन के कॉलम संख्या 16 मे तहसीलदार के जिस आदेश का उल्लेख है, उक्त आदेश की प्रति रेकर्ड पर उपलब्ध ही नही थी ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि कूटरचित बेचान दस्तावेजात जो कि वर्ष 1975 मे निष्पादित करवाये थे, उन दस्तावेजो के आधार पर म्युटेशन की कार्यवाही लगभग 24 वर्ष विलंब से सम्पन्न करवाई गई जिसकी जानकारी अपीलांटगण को समय पर नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने मे हुआ विलंब सद्भावित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर मानने मे विधिक भूल की है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 एवं ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 850 निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे तथा रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया तथा अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 850 दिनांक 7–5–1999 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 850 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त म्युटेशन बेचान दस्तावेजो के आधार पर स्वीकृत हुआ है जिसमे खातेदार खेराजराम पुत्र लाबुराम, हरीराम , भाखरराम पि0 खेराजराम वगैरा ने अपने 1/2 सम्पूर्ण हिस्से का पंजीबद्ध बेचान

दस्तावेजात का उल्लेख करते हुए पंचायत की बैठक मे दिनांक 7–5–99 को स्वीकृत किया जाना पाया जाता है जिसमे प्रथमदृष्ट्यिां कोई त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

वर्तामन मामले मे अपीलांटगण का यह कथन कि उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि 309 बाबत कोई बेचाननामा निष्पादित ही नही किया और न ही बेचान के बदले कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की परंतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कूटरचित तरीके से ग्राम कांकाणी के खसरा नंबर 301 की कुल 81 बीघा 14 बिस्वा भूमि मे से 1/2 हिस्सा 40. 17 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान होना बताते हुए अपीलाधीन म्युटेशन कूटरचित तरीके से स्वीकृत करवा लिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया । इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि रेस्पो0 के पक्ष मे किये गये बेचान को कूटरचित या फर्जी होना मानते है अथवा बेचान हुआ ही नही था, तो रेस्पो0 के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही करनी चाहिये थी तथा साथ ही बेचाननामे को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय मे दावा पेश किया जाना चाहिये था, जो कार्यवाही अपीलांट द्वारा अब तक नही की जाना प्रकट है । यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे पारित किया है, जो समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसके द्वारा पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे हुए इन्द्राजो को बदला जाना न्यायोचित नही है बल्कि ऐसे जटिल मामलो मे हक अधिकारो का बेहतर निर्धारण नियमित वाद की कार्यवाही से ही संभव है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर